XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

वासगीत पर्चा वाद संख्या–110/2008

धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट अन्तर्गत

गणेश साह, पिता–स्व0 महादेव साह, साकिन–पिपरा, थाना–बनमनखी, जिला– पूर्णियाँ .... आवेदक

बनाम्

1. शशि भूषण कुमार, पिता–स्व0 अवध नारायण साह
2. शम्भू साह, पिता–स्व0 अवध नारायण साह
साकिन– पिपरा, थाना–बनमनखी, जिला– पूर्णियाँ ..... विपक्षी

आदेश

आवेदक अंचलाधिकारी, बनमनखी द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या– 43/2000–01 में दिनांक 05.01.2001 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि मौजा–पिपरा, थाना नं0–32, खाता नं0–408, खेसरा नं0– 743, रकवा–7 डिसमिल एवं खाता नं0–243, खेसरा नं0– 742, रकवा–9 डिसमिल जमीन के भूस्वामी उनके पिता एवं चाचा थे। 40 वर्ष पहले आपसी बंटवारा में उपरोक्त जमीन आवेदक के पिता–स्व0 महादेव साह को प्राप्त हुआ और मृत्यु के समय तक आवेदक के पिता उपरोक्त जमीन पर सपरिवार निवास करते रहे। वर्तमान में आवेदक उपरोक्त भूमि पर निवास कर रहे है। अंचलाधिकारी, बनमनखी द्वारा जाँच किये बिना ही विपक्षीगण के नाम उपरोक्त जमीन का पर्चा निर्गत कर दिये। विपक्षीगण के पास मकानमय सहन के अतिरिक्त 5.97 एकड़ जमीन है, जिसका भूस्वामित्व प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है। विपक्षी प्रश्रय प्राप्त रैयत भी नहीं है। उपरोक्त जमीन के खतियानी मालिक की मृत्यु बहुत पूर्व ही हो चुकी है। फिर भी मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाया गया। पर्चा निर्गत करने से पूर्व भूस्वामी के नाम नोटिश भी निर्गत नहीं की गयीं इस प्रकार किसी भी दृष्टिकोण से विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा वैद्य नहीं है।

अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी की ओर से प्रत्युत्त दाखिल नहीं किया गया है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 23.05.2011 को सुनवाई की गयी। विपक्षी सुनवाई के क्रम में अनुपस्थित थे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वकालतनामा समसर्पित करने के बाद विपक्षी लगतार अनुपस्थित रहे। दिनांक 06.12.2010 एवं 22.07.2011 को स्पष्ट रूप से विपक्षी को अंतिम मौका दिया गया एवं दिनांक 23.09.2011 को सुनवाई हेतु रखा गया। स्पष्ट जानकारी के बाबजूद भी विपक्षी सुनवाई के क्रम में अनुपस्थित रहना स्पष्ट करता है कि विपक्षी को इस वाद के निष्पादन में कोई रूचि नहीं है, इसलिये एक पक्षीय

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख स
1	2	3

सुनवाई करने का निर्णय लिया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस वाद में जमीन मालिक रैयत का रिस्ता नहीं है, इसलिये इस वाद को खारिज करने की मांग की गयी।

पुनः दिनांक 25.11.2011 को सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन किया गया तथा सुनवाई की गयी। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण से आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है एवं इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ